

पुलिस जाँच और पूछताछ

पुलिस और आप
अपने अधिकारों को जानें



CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

तफ्तीश और पूछताछ

यह पुलिस का मौलिक कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक रिपोर्ट किए गए मामले की जांच करे। तफ्तीश और पूछताछ पुलिस जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस कथित अपराध के बारे में प्रश्न पूछ कर महत्वपूर्ण जानकारिया इकट्ठा करती है। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह बुलाए जाने पर पुलिस को जांच में मदद करने के लिए सही-सही जानकारी दे। इसके साथ ही यदि पुलिस किसी व्यक्ति से पूछताछ करती है तो उसके पास कानूनी अधिकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।

यह पुस्तिका उन कानूनी अधिकारों को स्पष्ट करती है जो आपको एक अभियुक्त या एक गवाह के रूप में पुलिस द्वारा तफ्तीश या पूछताछ के दौरान उपलब्ध होती है। अभियुक्त एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर अपराध का आरोप है जिसे गिरफ्तार किया जा सकता है या हिरासत में रखा जा सकता है या जमानत पर छोड़ा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कुछ विशेष मामलों में कानून के अंतर्गत आपको न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही हिरासत में रखा जा सकता है किंतु आप एक ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है जिसे पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा बार-बार बुलाया जा सकता है और किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41क) कोई गवाह किसी मामले में अभियुक्त नहीं होता है और उनके साथ अलग तरह से व्यवहार होगा। पुलिस द्वारा किसी गवाह से पूछताछ तभी होती है यदि उसके पास जांच किए जाने वाले मामले में संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध है।

आप अभियुक्त हो अथवा गवाह तपतीश या पूछताछ के दौरान आपके कुछ कानूनी अधिकार हैं जिसकी पुलिस को अवश्य सम्मान करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन अधिकारों और सही प्रक्रिया को जाने जिसका पुलिस को अनुपालन करनी चाहिए।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त के निम्नलिखित अधिकार हैं:

- पुलिस आपको ऐसा कोई वक्तव्य देने या किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जो उस अपराध में आपको दोषी ठहराए जिसके आप अभियुक्त हैं। यह आपका संवैधानिक अधिकार है। पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह इस अधिकार के बारे में आपको बताए (भारत का संविधान अनुच्छेद 20(3));
- पुलिस किसी अपराध को स्वीकार करने के लिए आपको धमकी नहीं दे सकती या मजबूर नहीं कर सकती (भा.सा.अ. धारा 24, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 163);
- पूछताछ के दौरान आपको वकील से परामर्श करने का अधिकार है। वकील पूछताछ के दौरान आपके पास रह सकता है पर पूरे पूछताछ के दौरान वह साथ नहीं रह सकता पुलिस को आपके इस अधिकार के बारे में आपको बताना चाहिए (दंड प्रक्रिया संहिता 41घ);
- पूछताछ के दौरान आप किसी ऐसे वक्तव्य पर आप हस्ताक्षर न करें जो आपने पुलिस को दिया हो। यह कानून है। आपको अपने वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने का दबाव नहीं दिया जा सकता है। कभी भी किसी खाली कागज पर हस्ताक्षर नहीं करें चाहे पुलिस

आपको ऐसा करने के लिए क्यों न कहे (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 162);

- कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पुलिस के सामने की गयी कोई स्वीकारोक्ति आपके खिलाफ नहीं जा सकती या साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तब तक जब तक कि यह किसी न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समक्ष न दिया गया हो (भा.स.अ. धारा 26);
- यदि आपको किसी ऐसे अपराध को स्वीकार करना है जो आपने किया है तो आप इसे किसी न्यायिक मैजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार करे। इसके लिए विशेष प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए। यह मैजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह आपको बताए कि आप किसी दबाव में अपराध स्वीकार न करें, यदि आप अपराध स्वीकार करने की सोचते हैं तो जो कुछ भी आप कहते हैं आपके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। यदि मैजिस्ट्रेट सोचता है कि आप स्वेच्छा से अपराध स्वीकार नहीं कर रहे हैं वह आपकी स्वीकारोक्ति दर्ज नहीं करेगा (दंड प्रक्रिया संहिता 164)

स्मरण रहे कि गिरफ्तार महिलाओं की पूछताछ महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए (उच्चतम न्यायालय का निर्णय शीला बर्से बनाम महाराष्ट्र राज्य)

हिरासत में हिंसा एक अपराध है

किसी व्यक्ति को पूछताछ के दौरान प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, थप्पड़ नहीं मारा जा सकता या दुर्व्यवहार या गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है। यदि पूछताछ के दौरान पुलिस आपको पीटती है या आपको जख्मी

करती है तो कानून के अंतर्गत उन्हें दंड दिया जा सकता है। हिरासत में बलात्कार कानून के अंतर्गत दंडनीय है।

यदि आप किसी मामले में गवाह है या आपको मामले के तथ्यों की जानकारी है तो पुलिस आपकी जांच कर सकती है या आपसे पूछताछ कर सकती है। वास्तव में गवाह के रूप में बयान देना आपका कानूनी कर्तव्य है।

पूछताछ के दौरान गवाह के निम्नलिखित अधिकार हैं:

- पुलिस अधिकारी किसी गवाह को पूछताछ के लिए सिर्फ लिखित आदेश से ही बुला सकता है (दंड प्रक्रिया संहिता 160(1));
- कानून कहता है कि महिलाओं के 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति या मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है। उनसे उनके परिवारजनों की उपस्थिति में उनके घर पर ही पूछताछ की जा सकती है (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 160);
- यदि आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो आप पुलिस के साथ सहयोग करने और पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का सही-सही जवाब देने के लिए बाध्य हैं। परन्तु स्मरण रहे आप ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर सकते हैं जो आपको आपराधिक मामले में फंसाए या उजागर करे (धारा 161(2) दंड प्रक्रिया संहिता);
- गवाह के वक्तव्य को तत्काल लिखा जाना चाहिए। (दंड प्रक्रिया संहिता 161(3)) जहां तक संभव हो गवाह का बयान उसी की

भाषा में रिकार्ड किया जाना चाहिए। बयान रिकार्ड करने के बाद पुलिस अधिकारी को इसे पढ़कर साक्षी को सुनाना चाहिए जो यह बताएगा कि यह सही है या नहीं। यदि रिकार्ड किया गया बयान गवाह द्वारा दिए गए बयान से भिन्न है तो इसे रिकार्ड करने वाले पुलिस अधिकारी को बताना चाहिए और वह उसमें बदलाव लाएगा और पुनः गवाह के सामने उसे पढ़ेगा;

- गवाह के बयान पर उसका हस्ताक्षर नहीं लिया जा सकता (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 162);
- गवाह के बयान से छेड़छाड़ करना या उसे प्रभावित करना या किसी भी प्रकार उसे धमकी देना गैर-कानूनी है (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 163(1));
- कानून के अनुसार पुलिस किसी गवाह द्वारा उसके घर से पूछताछ के स्थान पर आने में हुए खर्च का भुगतान कर सकती है (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 160(2));

बातें जो आपको स्मरण रखनी चाहिए:

- जब भी आप पूछताछ के लिए पुलिस थाने जाएं तो अपने साथ परिवारजन या मित्र को ले जाएं;
- पुलिस द्वारा पूछे प्रश्नों का शांत और स्थिर भाव से जवाब दें;
- घटना का सही-सही बयान करे जैसी वह घटित हुई है;
- तथ्यों को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बताए;
- कभी अस्पष्ट बयान न दें।

यदि पुलिस द्वारा आपकी पूछताछ के संबंध में आपको शिकायत है तो आप निम्न काम कर सकते हैं:

- पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से अपनी शिकायत भेजे। यदि पुलिस अधीक्षक आपकी शिकायत से संतुष्ट है तो वह या तो आपके मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करेगा या जांच के आदेश देगा;
- पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या उससे भी बड़े पुलिस अधिकारी जैसे कि पुलिस उप-महानिरीक्षक या पुलिस महा-निरीक्षक को सीधे शिकायत कर सकते हैं;
- क्षेत्राधिकार वाले समुचित अदालत में मैजिस्ट्रेट से शिकायत दर्ज कराएं;
- अपने राज्य के राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराए और यदि आपके राज्य में कोई आयोग नहीं है तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत कर सकते हैं;
- यदि आपके राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकरण है तो उसे शिकायत भेजे। यह एक विशेष निकाय है जो पुलिस के खिलाफ नागरिकों की शिकायत की जांच करता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सीधे उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करें। यदि न्यायालय इस बात से सहमत होता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह संबद्ध प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करने का आदेश दे सकता है या जो उचित समझे आदेश दे सकता है। आप अपनी शिकायत एक पत्र में लिख सकते हैं और इसे उच्च

न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। यदि न्यायालय महसूस करता है कि आपकी शिकायत पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तो वह आपके पत्र को रिट याचिका मान सकता है।

सी.एच.आर.आई. के संबंध में:

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्देश्य इस बात को बढ़ावा देना है कि राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यावहारिक रूप से हासिल किया जाए। सी.एच.आर.आई. मानवाधिकार मानदंडों के अधिक-से-अधिक अनुपालन का पक्षधर है।

हमारे कार्यक्रम हैं:

- ❖ न्याय तक पहुंच (पुलिस सुधार)
- ❖ न्याय तक पहुंच (कारागार सुधार)
- ❖ सूचना तक पहुंच
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय वकालत और प्रोग्रामिंग



कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
तीसरी मंजिल, सिद्धार्थ चैम्बर,

55 ए, कालू सराय

नई दिल्ली-110016, भारत

फोन: +91-11-43180200

फैक्स: +91-11-26864688

ईमेल: info@humanrightsinitiative.org

वेबसाइट: <http://www.humanrightsinitiative.org>